हरियाणा सरकार

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

आदेश

दिनांक 15.04.2025

संख्याएफ0जी0–1–59–2024/5682 :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय–XI (पारदर्शिता एवं जवाबदेही) तथा खंड 29 में दिये ये ब्यौरे अनुसार, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा निम्न राज्य निगरान समिति का गठन किया जाता है :–

क्रं0 सं0	ग्रामीण	क्रं0 सं0	शहरी
1	सरपंच	1	नगर निगम पार्षद (सम्बन्धित क्षेत्र)
2	पंच अनुसूचित जाति (यदि सरपंच अनुसूचित जाति से है तो पंच सामान्य जाति से)		
3	एक पुरूष/एक महिला लाभार्थी एक विकलांग, एक विधवा तथा बी0पी0एल0 परिवार)	2	एक पुरूष/एक महिला लाभार्थी एक विकलांग, एक विधवा तथा बी0पी0एल0 परिवार)
4	एक पुरूष/एक महिला लाभार्थी पिछड़ी जाति (एक बी0पी0एल0 तथा एक ए0ए0वाई0 परिवार)	3	एक पुरूष/एक महिला लाभार्थी पिछड़ी जाति (एक बी0पी0एल0 तथा एक ए0ए0वाई0 परिवार)
5	एक पुरूष/एक महिला लाभार्थी अनुसूचित जाति (एक बी0पी0एल0 तथा एक ए0ए0वाई0 परिवार)	4	एक पुरूष/एक महिला लाभार्थी अनुसूचित जाति (एक बी0पी0एल0 तथा एक ए0ए0वाई0 परिवार)

उपरोक्त कमेटी पी0डी0एस0 वस्तुओं की मासिक आवक तथा वितरण का सत्यापन करते है, जिसका वितरण उचित मूल्य की दुकान द्वारा किया जाता है।

दिनांक, चण्डीगढ़
08.04.2025

आनंद माहेन शरण
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक एफ0जी0–1–59–2024/5683 **दिनांक, चण्डीगढ़: 15.04.2025**

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार।
2. निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा सरकार, सैक्टर–28, चण्डीगढ़।
3. निदेशक, शहरी निकाय विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
4. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में।
5. सभी पुलिस अधीक्षक, हरियाणा राज्य में।
6. उप–मण्डल अधिकारी (ना0)।
7. सभी जिला खादय एवं पूर्ति नियंत्रक, हरियाणा राज्य में।

संयुक्त–निदेशक (पी0डी0एस0)
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।